

सम्प्रति जगत्प्रद में कार्यरत सामूहिक भेस के लिए वास्तु वर्तन का माप दण्ड निर्धारित है। प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला मुख्यालय में सामूहिक भेस कार्यरत है परन्तु उनके भेस के लिए वास्तु वर्तन का कोई माप दण्ड निर्धारित नहीं है। कई जिलों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में अनुचर के पद भी स्वीकृत है। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में सामूहिक भेस के लिए वास्तु वर्तन का माप दण्ड निर्धारित किया जाता है। निर्धारित माप दण्ड के अनुसार वास्तु वर्तन उन्ही भेस को उपलब्ध कराया जायेगा जहाँ सामूहिक भेस के लिए अनुचर का पद स्वीकृत है।

2. जिला आरक्षी केन्द्रों में नियमित रूप से कुछ ही जवान सामूहिक भेस में भोजन करते हैं। सामान्यतः एक भेस में अधिक से अधिक 50 जवान का भोजन बन सकता है। अतः जिला आरक्षी केन्द्रों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 50 जवानों को सामूहिक भेस में भोजन बनाने के लिए वास्तु वर्तन के निम्नांकित माप दण्ड निर्धारित किया जाता है :-

वास्तु वर्तन का नाम	निर्धारित माप दण्ड
1. अल्मुनियम डेक्की हैंडिल टक्कन सहित 24" व्यास 12" गहराई वजन 10 के0जी0 $\pm 10\%$ की भिन्नता	1 अदद
2. अल्मुनियम डेक्की हैंडिल टक्कन सहित 20" व्यास तथा 10" गहराई वजन 7.5 के0जी0 $\pm 10\%$ की भिन्नता	2 अदद
3. लोहे की कड़ाही हैंडिल सहित 22" व्यास 8 गेज	1 अदद
4. लोहे का तावा 24" व्यास 8 गेज	1 अदद
5. अल्मुनियम कठौत 24" व्यास वजन 15 के0जी0 $\pm 10\%$ की भिन्नता	1 अदद
6. अल्मुनियम कठौत 10" व्यास वजन 1 के0 जी0 $\pm 10\%$ की भिन्नता	1 अदद
7. लोहे की लोखनी 36" लम्बा तथा छेड 5" चौड़ा	1 अदद
8. लोहे का कलजुन 18" लम्बा तथा कप का व्यास 5" चौड़ा	1 अदद
9. लोहे का कलजुन 16" लम्बा तथा कप का व्यास 3. 1/2"	1 अदद

- 10. बाल्टी ज़ीआई08
4" व्यास 3 अदद
- 11. अनुनियम जग हेन्डल सहित
6" व्यास 7" गहराई
वजन 235 ग्राम $\pm 10\%$ की भिन्नता 4 अदद
- 12. लोहे का चौड़ा
15" लम्बा तथा 3" का व्यास 5" 2 अदद
- 13. लोहे का पहसुल
18" लम्बा लकड़ी के बेस पर
10" लम्बा लोहे का चौड़ा 2 अदद
- 14. चिमटा लोहे का
15" लम्बा $1\frac{1}{2}$ " चौड़ा 2 अदद
- 15. चकला बेलघा लकड़ी का
व्यास 10" का 2 सेट
- 16. पत्थर का सिल
मेटाभोरपिक रॉक का बना हुआ
18" लम्बा 10" चौड़ा तथा 3" मोटा
 $\pm 10\%$ की भिन्नता 1 अदद
- 17. पत्थर का लोहा
मेटाभोरपिक रॉक का बना हुआ
10" लम्बा 3" चौड़ा तथा 3" मोटा
 $\pm 10\%$ की भिन्नता 1 अदद
- 18. स्टेन लेश स्टील थाली
व्यास 11. $1/2$ " किनारा 1. $1/4$ "
22 गेज शीट की बनी होगी, अधिकतम वजन 600ग्राम
 $\pm 10\%$ की भिन्नता । 50 अदद
- 19. स्टेन लेश स्टील का ग्लास
उपरी व्यास 8 सेमी0 लम्बाई 12 सेमी0
22 गेज शीट का बना होगा । 50 अदद
- 20. वाटर ड्राम
गलभनाइज शीट का, पानी अटने की क्षमता 200 लीटर । 1 अदद
- 21. छोटी बाल्टी ज़ीआई08
12" साईज 2 अदद
- 22. सर्क्सिंग चम्मच बड़ा स्टील का 2 अदद
- 23. चावल परोसने के लिए पंजा स्टील का 2 अदद
- 24. अनुनियम बड़ा कटोरा चम्मच के साथ 1 सेट

जितने जवान भोजन करते हैं उनके अनुसार ही सामूहिक भेस की संख्या निर्धारित

कृपया 3/

की जायेगी तथा उसी अनुपात में वासन वर्तन रहे जायेंगे ।

4. साप्ताहिक भेद के लिए वर्तनों का क्रय अन्य प्रभार शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

5. उक्त मानक के आधार पर आरक्षी अधीक्षक/प्राचार्य वासन वर्तनों की अपनी न्यूनतम आवश्यकता प्रतिवर्ष पुलिस हस्तक नियम 1077 की तहत पुलिस हस्तक प्रपत्र 158 में महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को भेजेंगे । वासन वर्तनों के क्रय हेतु निविदा पुलिस हस्तक नियम 1076/र१ के अनुसार आमंत्रित की जायेगी । पुलिस हस्तक नियम 1076/बी१ की तहत गठित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा वर्तनों के नमूने दर एवं फर्म निर्धारित की जायेगी । वर्तन वासन अन्य मदों की तरह केन्द्रीय रूप से क्रय की जायेगी तथा क्रयोपरान्त संबंधित जिलों/प्रशिक्षण संस्थानों को आवंटित किया जायेगा ।

6. वासन वर्तन का क्रय निधि के उपलब्धता के आधार पर की जायेगी । केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा फर्म एवं दर निर्धारित के बाद सोमोनि०/क्यू० वर्तनों के क्रय पर होने वाले प्राकलित व्यय की राशि की उपलब्धता के संबंध में सोमोनि०/प्र० से सम्बुद्धि बनाने के बाद ही संबंधित फर्म को क्रयादेश निर्गत करेंगे ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

ज्ञापक 2233/सो महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना, दिनांक 13-12-91

प्रतिलिपि:- 1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र बल, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

2. आरक्षी महानिरीक्षक, पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/दरभंगा एवं रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

3. सभी क्षेत्रीय उप०मोनि०/सभी उप०मोनि० सशस्त्र बल/उप०मोनि० सह प्राचार्य पी०टी०सी० हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

4. सभी आरक्षी अधीक्षक रेलवे सहित/प्राचार्य आरक्षी प्रशिक्षण केन्द्र पटना/सी०टी०सो नाथनगर/यातायात प्रशिक्षण केन्द्र जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

5. आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक/प्रशासन/क्यू० बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

6. प्रशाखा पदाधिकारी पी० । प्रशाखा, महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाशन हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।